

प्राप्य 2 (नियम 11(4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (BHOPAL), मध्यप्रदेश

दूरभाष-

फैक्स

ई-मेल

क्रमांक - 3221121172  
प्रति,

दिनांक- 11/02/2015

प्रबंधक,

(MANSAROVAR PUBLIC SCHOOL)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पर दिनांक 02/05/2011 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पर व्यवहार/ निरीक्षण के सत्र में, मैं आपका स्कूल -MANSAROVAR PUBLIC SCHOOL, MANSAROVAR CAMPUS KOLAR ROAD BHOPAL को कक्षा पहली से कक्षा आठवीं तक के लिए दिनांक 11/02/2015 से 11/02/2018 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से उमर की मान्यता/संबद्धता की कोई बाधकता किसी भी रूप में विद्यमान नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने प्रवेश की सीमा के वरिष्ठ समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 परसेंट प्रवेश देगा। यह एका में 15 तक यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करेगा तथा जो बालक बालिका प्राथमी प्रवेश को प्राप्त करने हेतु इस प्रकार वार्षिक सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किन्तु यह न्यूनतम प्राथमी प्रवेश को प्राप्त करने के लिये प्राप्त स्कूल पूर्व स्कूल (पि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वही अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रवेश के लिये लागू होगा।
- धारा 18 के अधीन बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार स्वयं की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा एका पर प्रवेश को प्राप्त करने के लिये स्कूल को प्रत्येक से बैंक खाता उपलब्ध करवाना होगा।
- मान्यता प्राप्त करने की अतिरिक्त यह कदम नहीं लेंगे तथा बालक या उसके पात्रक या अभिभावक के साथ किसी प्रकार की विवादों को नहीं संभालेंगे।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (1) आयु के स्कूल के अन्तर्गत,
  - (2) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहिए गया है,
  - (3) धर्म, जाति या मूल्य, जन्मस्थान या दूसरे से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करना कि-
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या निष्काशित नहीं किया जाएगा।
  - किसी बालक को भौतिक या मानसिक रूप से पराजित नहीं किया जाएगा,
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बड़े पढ़ाया उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी,
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा,
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विशालविशेष आवश्यकता वाले बालकों को समर्थित किया जाएगा,
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भरती की जाएगी, धारा 12 के अधीन प्रवेशित बालकों को प्रवेशित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवेशित स्कूल में प्रवेश देना स्कूल के अधिनियम के प्रावधानों के अधीन प्रवेशित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट कृत्यों का पालन करना होगा,
  - ग्रामोद टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेने/लेती।
- स्कूल समुचित प्राथमिकी द्वारा निर्धारित पाठ्यचक्रों का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 से विहित किए अनुसार 14.12 से उपलब्ध सुनिश्चित अनुपात में स्कूल से बच्चों का नाम निकालना है।

PRINCIPAL